

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- **551** / 11-सी-FP/UP/Approach/148762/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त **27**, 2024
सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-झांसी में रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि०, लखनऊ द्वारा ग्वालियर-झांसी मार्ग (एन०एच०-44) के किमी० सं० चैनेज-92.760से 93.00 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा सं०-422, ग्राम-करारी, तहसील-झांसी, जिला-झांसी में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/151/2022/एफ०सी०/786, दिनांक 19.12.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी का पत्रांक-2356/33-1, दिनांक 07.05.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी के उपरोक्त पत्रांक-2356/33-1, दिनांक 07.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या दिनांक 23.08.2024 को ऑनलाइन अपलोड कराया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- **551** / 11-सी-FP/UP/Approach/148762/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
3. स्टेट हेड यू०पी० ईस्ट, रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि०, एल्डेको कॉरपोरेट चैम्बर-2, नवों तल, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।